Report generated on 17/07/2018 18.29.03

Comprehensive Financial Management System, Government of Bihar
Urban Development and Housing Department
Urban Development & Housing Department,Vikash Bhavan,New Secretariat,PATNA,Bihar,

Telephone: ,

Allotment for other expenses

File Number : 2B/Nirva.-22-01/2017 **Date : 17/07/2018**

Order Number : 2864 **Stakeholder Code : URB1010000**

Subject: Allotment of Rs. 71.37 Lakh in FY 2018-19 under Scheme.

Reference Number : Sanction order No. 13 Dated 26/06/2018

Sanction is hereby accorded to the allotment of fund as per detail:-

Head of Account Detail:-

Demand Number: 48- Urban Development and Housing Department

Major Head: 2015- Elections

Sub-Major Head: 00-

Minor Head: 109- CHARGES FOR CONDUCT OF ELECTIONS TO PANCHAYATS/LOCAL BODIES

Subhead: 0001 - NA

Head of Account: 48-2015-00-109-0001- NA

Total Budget Provision – 5,00,00,000

Allotment before this Allotment – 0

Present Allotment Amount – 71,37,000

Allottee/Sub-Allottee office – Urban Development and Housing Department

Purpose – Establishment Related Expenditure

Financial Year – 2018-2019

Additional Text : Expenditure of Allotted amount will be as per the Provisions mentioned in the sanction order No. 13 Dated 26/06/2018

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. AG, Bihar

2. Finance Department (Budget Section), Bihar

3. Planning Department, Bihar

4. Secretary Rajya Nirvachan Aayog, Bihar, Patna/Related Divisional Commissioner, Bihar/ Related District Magistrate-Cum-District Election officer(Municipality)

5. Related Treasury officer/Local Account Examiner, Bihar

Annexure - I

Head of Account: 48-2015-00-109-0001-NA
Allottee/Sub Allottee Code: GEN3010001
Allottee/Sub Allottee designation: DM,MUZAFFARPUR

Allotment ID	Object Head	Allotted Amount
100195	13-01-Office expenses	5,00,000

Total: 5,00,000

Head of Account: 48-2015-00-109-0001-NA
Allottee/Sub Allottee Code: GEN3010007
Allottee/Sub Allottee designation: DM, SITAMARHI

Allotment ID	Object Head	Allotted Amount
100196	13-01-Office expenses	5,00,000

Total: 5,00,000

Head of Account: 48-2015-00-109-0001-NA
Allottee/Sub Allottee Code: GEN3010013
Allottee/Sub Allottee designation: DM, Rohtas (Sasaram)

Allotment ID	Object Head	Allotted Amount
100197	13-01-Office expenses	15,00,000

Total: 15,00,000

Head of Account: 48-2015-00-109-0001-NA
Allottee/Sub Allottee Code: GEN3010015
Allottee/Sub Allottee designation: DM, Aurangabad

Allotment ID	Object Head	Allotted Amount
100198	13-01-Office expenses	10,00,000

Total: 10,00,000

Head of Account: 48-2015-00-109-0001-NA
Allottee/Sub Allottee Code: GEN3010029
Allottee/Sub Allottee designation: DM BANKA

Allotment ID	Object Head	Allotted Amount
100199	13-01-Office expenses	6,37,000

File Number : 2B/Nirva.-22-01/2017 Order Number : 2864 Date : 17/07/2018

Annexure - I

Total: 6,37,000

Head of Account: 48-2015-00-109-0001-NA
Allottee/Sub Allottee Code: GEN3010033
Allottee/Sub Allottee designation: DM, Patna

Allotment ID	Object Head	Allotted Amount
100200	13-01-Office expenses	5,00,000

Total: 5,00,000

Head of Account: 48-2015-00-109-0001-NA
Allottee/Sub Allottee Code: GEN3010036
Allottee/Sub Allottee designation: DM, East Champaran (Motihari)

Allotment ID	Object Head	Allotted Amount
100201	13-01-Office expenses	10,00,000

Total: 10,00,000

Head of Account: 48-2015-00-109-0001-NA
Allottee/Sub Allottee Code: GEN3010043
Allottee/Sub Allottee designation: DM Vaishali

Allotment ID	Object Head	Allotted Amount
100202	13-01-Office expenses	15,00,000

Total: 15,00,000

Urban Development and Housing Department
Urban Development and Housing

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

पत्रांक–2ब०/निर्वा०–22–01/2017 13 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक– 26/06/18

विषयः– **राज्य के विभिन्न नगर निकायों में निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल ₹71.37000 लाख (एकहत्तर लाख सैंतीस हजार रु०) मात्र राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक– 901, दिनांक– 19.04.2018 द्वारा नगर पंचायत से नगर परिषद् में उत्क्रमित नगर निकाय– महनार, बिक्रमगंज, बांका, दाउदनगर, ढाका एवं नव गठित नगर पंचायत– सुरसंड में आम निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी से अधियाचना प्राप्त कर राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक– 723, दिनांक– 12.04.2018 द्वारा साहेबगंज नगर पंचायत में आम निर्वाचन तथा पटना जिलान्तर्गत कतिपय नगर निकायों में उप चुनाव कराने हेतु जिला पदाधिकारी, पटना का पत्रांक– 420, दिनांक– 28.05.2018 द्वारा निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना तथा जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं पटना द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में निम्न तालिका के स्तम्भ– 4 के अनुरूप कुल ₹71.37000 लाख (एकहत्तर लाख सैंतीस हजार रु०) मात्र निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :–

(राशि लाख में)

क्र०सं०	जिला का नाम	नगर निकाय का नाम	स्वीकृत राशि
1	*2*	*3*	*4*
1	वैशाली	नगर परिषद्, महनार	15.00000
2	रोहतास	नगर परिषद्, बिक्रमगंज	15.00000
3	बांका	नगर परिषद्, बांका	6.37000
4	औरंगाबाद	नगर परिषद्, दाउदनगर	10.00000
5	पूर्वी चम्पारण	नगर परिषद्, ढाका	10.00000
6	सीतामढ़ी	नगर पंचायत, सुरसंड	5.00000
7	मुजफ्फरपुर	नगर पंचायत, साहेबगंज	5.00000

8	पटना	पटना नगर निगम के वार्ड सं०– 29, नगर परिषद्, दानापुर के वार्ड सं०– 15 एवं नगर पंचायत, खुशरूपुर के वार्ड सं०– 04	5.00000
		कुल योग	**71.37000**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹71.37000 लाख (एकहत्तर लाख सैंतीस हजार रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

4. स्वीकृत राशि ₹71.37000 लाख (एकहत्तर लाख सैंतीस हजार रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2018–19 में मांग संख्या–48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2015– निर्वाचन–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उपशीर्ष–0001–नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव विषय शीर्ष–0001.13.01– कार्यालय व्यय, विपत्र कोड सं०– **48-2015001090001** के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

5. स्वीकृत कुल राशि ₹71.37000 लाख (एकहत्तर लाख सैंतीस हजार रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) होंगे,** जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी।

6. वित्तीय वर्ष 2018–19 से बजट उपबंध की राशि का आवंटन CFMS से किये जाने के कारण उपरोक्त तालिका के क्रमांक– 1 से 6 में अंकित नगर निकायों से जिला पदाधिकारियों को दिनांक– 08.05.2018 को निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए अन्य निधि से उपरोक्त तालिका के स्तम्भ– 4 के अनुरूप अग्रिम के रूप में RTGS के माध्यम से राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। इसलिए ***जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी, वैशाली, रोहतास, बांका, औरंगाबाद, पूर्वी चम्पारण एवं सीतामढ़ी को निदेश दिया जाता है कि वे स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित बजट शीर्ष से करते हुए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करा दें ताकि अग्रिम के रूप में दी गई राशि का समायोजन विभागीय स्तर पर किया जा सके।***

7. राशि का उपयोग होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र (42 A) में विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं०– तिथि एवं कोषागार के नाम सहित विवरणी इस विभाग को निश्चित रूप से भेजा जाय। ताकि महालेखाकार, बिहार से सामंजन कराया जा सके।

8. **क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जाएगा।**

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

11. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक– 31.03.19 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 2ब०/निर्वा०–22–01/2017 के पृष्ठ सं०–...17.........../टि० पर दिनांक–22.6.18..... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–....18........../टि० पर दिनांक–25.6.18........ को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

26.06.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/निर्वा०–22–01/2017 13 /न०वि०एवंआ०वि० /पटना, दिनांक–26/06/18

प्रतिलिपि:– सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/वित्त (बजट शाखा), विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी–2 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

26.06.18

सरकार के विशेष सचिव।